

(भारत सरकार का उपक्रम)

ए.आर.एम.बी आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल कॉम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301

ईमेल: cs8187@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित वितीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रावर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल अस्तित्वों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एकद्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उपभोक्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कच्चा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, संबंधित उपभोक्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि को वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विधि को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। अरक्षित मूल्य और बचान राशि संबंधित संघर्षों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम	बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (सम्पत्ति यों) का बंधककर्ता)	क) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत मौख सूचना की तिथि ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कच्चा की तिथि। घ) कच्चे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक ङ) बिक्री सूचना के अनुसार बकाया राशि	क) आरक्षित मूल्य ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भारों का विवरण
1.	पीएनबी-शाखा: हुमरांव (015200) मेसर्स न्यू वेलकम आइडन स्टोर, प्रोप.-श्री महमूद आलम पिता-श्री अब्दुल हलीम अंसारी खाता नं.-0152008700004340 श्री महमूद आलम पिता-श्री अब्दुल हलीम अंसारी (प्रोपराइटर) श्री महमूद आलम पिता-श्री अब्दुल हलीम अंसारी (बंधककर्ता) श्रीमती ममून निशा (जमानतदार) सोफी का अवास: ग्राम: गौशाला रोड, वाई नं.-08, हुमरांव, पोस्ट+थाना-हुमरांव, अंचल- हुमरांव, जिला-बक्सर, बिहार-802119	अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश अवस्थित है: 1) मीजा-हुमरांव, थाना नं.-168, खाता नं.-326, अंचल-हुमरांव, पोस्ट+थाना-हुमरांव, जिला-बक्सर, बिहार 1क) खेसरा नं.-997,998,999, रकबा-4.53125 डेसीमल, चौहद्दी: उत्तर-भरथ सोनार, दक्षिण-जगदीश त्रिपाठी एवं अन्य, पूर्व-राम कुमार भार एवं अन्य, पश्चिम-मो. नौशाद सकीना खानत एवं आसमीन। 1ख) खेसरा नं.-998, रकबा-1.093 डेसीमल, चौहद्दी: उत्तर-गस्ता, दक्षिण-जगदीश त्रिपाठी, पूर्व-राम कुमार भार, पश्चिम-गोपाल तिवारी एवं अन्य। कुल रकबा- 5.62425 डेसीमल डिड नं.-3949 दिनांक 10.06.2020	क) 17.10.2022 ख) रु. 32,38,965.60/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क ग) 31.01.2023 घ) सांकेतिक ङ) रु. 26,25,239.24/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क	क) रु. 23,90,306.25/- ख) रु. 2,39,030.65/- ग) रु. 25,000/-	29.06.2026 दोपहर 12:00 से सायं 04:00 तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सूचना हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तें निम्नलिखित के अधीन होगी।

- संपर्तित "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेची जा रही है।
 - उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
 - बिक्री अभीहस्ताक्षर द्वारा वेबसाइट <https://banknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 29/06/2026 को दोपहर 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक की जाएगी।
 - बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया <https://banknet.com> और www.pnbindia.in देखें।
- नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी

(भारत सरकार का उपक्रम)

ए.आर.एम.बी आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल कॉम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301

ईमेल: cs8187@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित वितीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रावर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल अस्तित्वों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एकद्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उपभोक्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कच्चा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, संबंधित उपभोक्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि को वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विधि को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है"